अनुसूची १४—फारम सं०—४६२

आदेश—पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक — ता0..से..तक

जिला.., सं0.., सन् १६..

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख—सहित ३
	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा विविध अपील संख्या 305 / 2013 उग्रमोहन ठाकुर एवं अन्य — अपीलार्थी वनाम राज्य सरकार एवं अन्य रेणु गुप्ता — रेस्पोण्डेन्ट्स —::आदेश::— प्रश्नगत वाद संख्या 299 /2013 एवं अन्य 6 जिला पदाधिकारी द्वारा दिनांक 16.05.20123 को ऑगनवाड़ी वाद अपीलवाद निम्न न्यायालय वाद संख्या 9/12:—13 में पारित आदेश के विरूद्व दायर किया गया है । इस वाद में दिनांक 20.06.13 को निम्न न्यायालय, अपीलीय पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी द्वारा दिनांक 16.05.2013 पारित आदेश को स्थगित किया गया है । कालान्तर में अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत वाद में दिनांक 23.08.2013 को एक समझौता पत्र दाखिल करते हुए विविध अपील आवेदन वापस लेने का अनुरोध किया है । वाद का मूल आधार यह है कि दिनांक 27.08.2011 को प्रमंडल स्तर पर प्राप्त आवदेन के आधार पर ऑगनवाड़ी केन्द्र मुरादपुर की जॉच सयुक्त आयुक्त सह सचिव कोशी प्रमंडल सहरसा, क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी एवं जन शिकायत पदाधिकारी के नेंतृत्व में जॉच कराई गयी एवं उक्त जॉच प्रतिवेदन के आलोंक में पत्रांक 22 दिनांक 03.02.12 द्वारा जॉच में पाये गये अनियमितता के आधार पर उक्त सभी ऑगनवाडी केन्द्र पर कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा की गई। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा दिनांक 10.04.12 को कुल सात ऑगनवाड़ी केन्द्रों के सेविका के चयन मुक्ति का आदेश दिया गया। जिसके विरूद्व अपीलीय पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा इस ऑगनवाड़ी केन्द्रो के सेविकाओं के चयन मुक्ति के आदेश को रद्व किया गया । जिसके विरूद्व इस न्यायालय में यह वाद दायर किया गया है । अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रमंडलीय जॉच दल द्वारा जॉच के कम में उक्त सभी ऑगनवाड़ी केन्द्रों में गंभीर अनियमितता पाई, जिसके आलोक में उन्हें चयन मुक्त करने हेतु अनुशंसा की	

थी । निम्न अपीलीय न्यायालय सह जिला पदाधिकारी के अपील वाद में पुनरीक्षण कर्त्ता श्री उग्रमोहन ठाकुर के भाई श्री आंनद मोहन ठाकुर द्वारा यह जॉच किया गया, जिसके आधार पर चयन मुक्ति का आदेश कानून सही नहीं माना गया है । अभिलेख से अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस मामले की जॉच प्रमंडलस्तर पर गठित वरीय पदाधिकारियों की टीम द्वारा की गयी है, जिसमें प्रमंडल स्तर के सभी वरीय पदाधिकारी थे, ऐसी परिस्थिति में जॉच प्रतिवेदन पर किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव नहीं माना जा सकता है ।

ऐसी परिस्थिति में जॉच प्रतिवेदन के मूल तथ्यों का हटा कर अपील आवेदन चयन मुक्ति के आदेश को रद्द करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है ।

पुनरीक्षण वाद में दायर किया गया समझौता स्पष्ट रूप से आपसी समझौता के आधार पर था । ऐसी परिस्थिति में उचित होगा कि पुनरीक्षण वाद संख्या 300 (उग्रमोहन ठाकुर बनाम राज्य एवं सुनीला देवी) 301/13 (उग्रमोहन ठाकुर बनाम राज्य एवं ममता कुमारी) 302/13 (उग्रमोहन ठाकुर बनाम राज्य एवं साधना कुमारी) 303/13(उग्रमोहन ठाकुर बनाम राज्य एवं रीतू आंनद) 304/13 (उग्रमोहन ठाकुर बनाम राज्य एवं बबीता कुमारी) से 305/2013 (उग्रमोहन ठाकुर बनाम राज्य एवं रेणु गुप्ता) तक में समरुप अपीलीय न्यायालय द्वारा आपील में पारित आदेश दिनांक 16.05.13 को निरस्त करते हुए हुए प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा भेजे गये जॉच प्रतिवेदन के गुण दोष के आधार पर पुनः उक्त वाद की सुनवाई हेतु पुनःप्रेषित (Remand) किया जाता है ।

चूँकि इस अपील पुनरीक्षण पर आदेश जिला पदाधिकारी द्वारा पारित किये गये है । अतएव विशेष स्थिति में उनके स्तर से ही इस वाद का निराकरण किया जाय ।

लेखापित एवं संशोधित ।

आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा